न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 66/2022 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सीताराम मीना पुत्र श्री शिम्भु दयाल मीना निवासी वार्ड संख्या 2 जयलाल पटेल का मौहल्ला, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
   एफबीओ मैसर्सः—सीताराम पनीर उद्योग, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

(परिवाद अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 2(II) एवं 51एफएसएस रूल्स 2006 व 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक श्री संदीप अग्रवाल को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 57 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 4.9.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान का है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने निरीक्षण दल के साथ दिनांक 02.06.2022 को 01:00 PM पर मैसर्सः—सीमाराम पनीर उद्योग ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री शिम्भु दयाल मीना उपस्थित मिला। श्री सीताराम मीणा ने स्वयं को मैसर्स सीमाराम पनीर उद्योग, गाम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा का खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं मौके पर स्वयं के आई डी प्रूफ की प्रति, खाद्य रजिस्ट्रेशन की रसीद एवं अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर विक्रेता के संस्थान में एक बडे एल्यूमिनियम के टब में लगभग 125 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें अवमानक का शक होने पर इसकी जांच कराने के लिये गवाहान के सामने विक्रेता को 240/—नगद देकर उसमे से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच करवाने हेतु एक साफ सूखे स्टील के प्याले में खरीदा एवं बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर को मेश करके छोटे—छोटे टुकडे करके 4 प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर चारो बोतलों में 20—20 बून्दे फार्मलीन की डाली। प्रत्येक बोतल के मुंह पर ढक्कन लगा कर कस कर एयरटाइट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये। जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर ए.जी.—2979 खाद्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पदार्थ पनीर का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता ने लेबलों पर हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटर उस पर पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक ए.जी.–2979 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोंद से चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार सील चपडी लगाई एवं चारो नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये एवं गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द मौके पर तैयार की पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की जिस पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया एवं नमूना सील इम्प्रेशन अंकित किया। फार्म सं. 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेटकर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सील चपडी किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। उक्त एक सील्ड नमूना एवं सील्ड लिफाफा अगले कार्य दिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त नमूने के द्वितीय व तृतीय भाग को अभिहित अधिकारी दौसा को अगले कार्य दिवस को एवं चतुर्थ भाग अगले कार्य दिवस को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./2032/एक्ट/2022/2040 दिनांक 10.06.2022 प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ज्ञात हुआ उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक **(Unsafe)** पाया गया है। रैफरल प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा ना तो जवाब प्रस्तुत किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./2032/एक्ट/2022/2040 दिनांक 10.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने में मिल्क फैट को किसी सस्ते एवं हल्के पदार्थ से प्रतिस्थापित कर दिये जाने के कारण नमूने में मिल्क फैट सम्बन्धित बी. आर. रीडिंग 49.1 प्राप्त हुई है जो कि 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिये थी। रिचर्ट वैल्यू भी मात्र 0.36 ही पाई गई है जो कि कम से कम 28.0 होनी चाहिये थी। इस कारण खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zz)(iv)** एवं **3(1)(zz)(xi)** के अनुसार अवमानक **(Unsafe)** पाया गया है। रैफरल प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने में **moisture** (नमी) की मात्रा 62.41 प्रतिशत पाई गई है जो 60 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने चाहिये थी। रैफरल प्रयोगशाला मैसूर की रिपोर्ट के अनुसार भी खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Web Copy - Not Official

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर एवं रैफरल प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अवमानक एवं सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री शिम्भू दयाल मीणा मैसर्सः— सीताराम पनीर उद्योग, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा निवासी वार्ड संख्या 2, जयलाल पटेलों का मौहल्ला, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा पर 15000/— (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 14.06.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः— .06.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. श्री सीताराम मीना पुत्र श्री शिम्भु दयाल मीना निवासी वार्ड संख्या 2 जयलाल पटेल का मौहल्ला, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
   एफबीओ मैसर्सः—सीमाराम पनीर उद्योग, ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा